न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/2011

आरसीएमएस नं. 2011/00114

1. सोहन लाल
2. मंगल सिंह } पुत्रगण स्व0 बूटा सिंह
3. सतपाल सिह } निवासी चक 2 ए.पी.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

– अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर जिला हनुमानगढ़

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्व निर्णय उपखण्डाधिकारी, रावतसर, दिनांक 26.04.2011

आदेश क्रमांक 11/41 अनवान प्रार्थना–पत्र सोहन सिंह वगैरह कस्टोडियन रकबे की सनद जारी करने बाबत।

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 18.01.2023

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के समक्ष कस्टोडियन रकबे की सनद् जारी करने बाबत शीर्षक से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 2 ए.पी.एम. प. नं. 156/412 (40) किला नं. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 सालम कुल तादादी 8 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि अलाबक्श पुत्र खुदाबक्श जाति खटीक निवासी रावतसर के नाम से दर्ज भूमि पर प्रार्थीगण काबिज चले आ रहे होने तथा कब्जा 1947 से हाने का कथन करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी करने एवं राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण के नाम भूमि अंकित करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से उक्त रकबा के संबंध में कब्जा की रिपोर्ट मंगवाई थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण का कब्जा दर्शाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नजरअन्दाज कर अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कस्टोडियन भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रावधित नियमों को अनदेखा कर अपीलार्थीगण के कब्जा को नजरअन्दाज करते हुए उक्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए अविधिक रूप से निर्णय पारित किया है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज योग्य है। अपीलाण्ट ने अपना अरसा पूर्व का कब्जा प्रदर्शित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि का नियमन करने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलाण्ट द्वारा उक्त रकबा का नियमानुसार शुल्क जमा करवाया जाकर व कब्जा के आधार पर नियमन करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे निरस्त कर कानूनी भूल की

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि कस्टोडियन अलौटी के नाम से खारिज करवा कर अपने नाम खतोदारी लेने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि कस्टोडियन की भूमि है व कस्टोडियन भूमि पर अगर अलोटी काबिज नहीं है व ना ही अलौटी द्वारा उक्त भूमि विक्रय की गई है या जरिये इकरार किसी अन्य को दी है तो ऐसी भूमियों को निष्क्रांत कृषि भूमि के निस्तारण हेतु बनाये गये नये नियमों के अनुसार उक्त भूमि को आराजी राज दर्ज किये जाने व काबिज व्यक्ति अतिक्रमी होने के कारण उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि वह प्रश्नगत भूमि पर किस हैसियत से काबिज है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में कस्टोडियन रकबे की सनद जारी करने बाबत प्रार्थना–पत्र पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें चक नं. 2 ए.पी.एम. प. नलं. 156/412 (40) किला नं. 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17 सालम कुल तादादी 8 बीघा भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन करते हुए सनद जारी करने करने का अनुतोष मांगा गया था। प्रश्नगत भूमि कस्टोडियन की भूमि है व कस्टोडियन भूमि पर अगर अलौटी काबिज नही है व ना ही उक्त भूमि अलौटी द्वारा विक्रय की गई है, या जरिये इकरारनामा किसी अन्य को दी गई है तो ऐसी भूमियों को निष्क्रान्त कृषि भूमि के निस्तारण हेतु बनाये गये नये नियमों के अनुसार भूमि को आराजी राज दर्ज किये जाने के आदेश विचारण न्यायालय ने दिये हैं। अपीलाण्ट ने अपील में इकरारनामा दिनांक 05.01.1966 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जो ना तो अटेस्टेड है ना ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इकरानामा रजिस्टर्ड है केवल मात्र फाटो प्रति है। अपीलाण्ट बतौर अतिक्रमी होने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट प्रश्गनत भूमि पर एक अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी होने के कारण उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं वो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.04.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 18.01.23 .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

18/1/23

(करतार सिंह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़